ORIGINAL RESEARCH PAPER | Commerce | Volume : 6 | Issue : 9 | September 2016 | ISSN - 2249-555X | IF : 3.919 | IC Value : 74.50

महिला सशक्तिकरण में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का मूल्यात्मक अध्ययन

KEYWORDS

रमेश कुमार मेश्राम

डॉ. के.एल. टाण्डेकर

प्राचार्यए डोंगरगांव महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)

ABSTRACT प्रस्तुत शोधपत्र छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण में विभाग की भूमिका का अध्ययन किया गया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तक भारत की महिलाएँ सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं लेगी, तब तक इस देश की महिलाएँ सशक्त नहीं हो सकती। प्रत्येक क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना पड़ेगा ऐसा ही विभाग द्वारा उनकी कार्यक्षमता को पहचानते हुए उन्हें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, आजीविका व पोषण से संबंधित अवसर व अधिकार प्रदान कर मुख्यधारा में लाने का हर संभव प्रयास किया परिणाम स्वरूप जिले की बेटियाँ व महिलाएँ सशक्त हुई जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा, सामाजिक–आर्थिक मामलों और नवाचारों के प्रति उनका दृष्टिकोण व्यापक हुआ।

प्रस्तावना –

21वीं सदी की शुरूआत में प्रदेश सहित सम्पूर्ण भारत ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया तथा सभी स्तरों में उन्हें आत्मनिर्भर एवं प्रगतिशील बनाने के लिए कई पत्र–पत्रिकाओं पर विशेषांक, संगोष्ठियां, सम्मेलनों का आयोजन किया गया, ताकि महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके, इसके लिए सब का ध्यान उस मुद्दे की ओर आकर्षित कर कुछ सुझाव मांगना, निष्कर्ष निकालना, कुछ विभागों की स्थापना, कुछ योजनाएं बनाना आदि शामिल था इसी तर्ज पर 1 नवम्बर 2000 को राज्य के अस्तित्व में आने के साथ ही जिले सहित राज्य में महिला एवं बाल विकास ने महिलाओं के विकास की नींव डालना शुरू कर दी। इसके पूर्व भी संविधान में कई संवैधानिक अधिकार, कर्त्तव्य, कानून व अधिनियम के माध्यम से इन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया परन्तु आशातित सफलता नहीं मिली।

महिलाएँ समाज का आधार स्तंभ है उनकी शक्ति, क्षमता, शिक्षा और स्वास्थ्य इन सभी घटकों का सशक्त समाज निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया हैं यह महिलाओं में जागरूकता लाती है कि वह शक्ति को कैसे प्राप्त कर अपना सर्वांगीण विकास कर सके और पुरूषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें। इसी परिपेक्ष्य में पिछले 15 वर्षो में विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिल रहा है। जिससे जीवन स्तर में उत्साहजनक परिवर्तन आया है।

उद्देश्य –

(1) महिला बाल विकास विभाग की नीतियॉ महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण में कितनी सहायक रही है, का विशलेषण करना इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है।

(2) विभाग की नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना।

(3) जिले में विभाग की योजनाओं का महिलाओं के जीवन स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

परिकल्पना –

(1) विभाग की विभिन्न योजनाओं से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा, जाग. रूकता आयी जिसका महिला सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव रहा।

(2) महिलाएँ विभाग की योजनाओं से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक व स्वास्थ्य की दृष्टि से सुदृढ़ हुई व रोजगार के अवसर सृजित हुए।

शोध प्रविधि –

प्रस्तुत अध्ययन में विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी राजनांदगांव जिले के संदर्भ में प्राप्त कर, उससे संबंधित द्वितीयक आकड़ों का संकलन व विश्लेषण हेतु विभिन्न सांख्यिकीय तकनीकी का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत जिले में योजनाओं के भौतिक लक्ष्य व उपलब्धियों को वर्णित कर उसके वित्तीय लक्ष्य उपलब्धि को प्रतिशत में दर्शाया गया है, कुछ महिलाओं से साक्षात्कार लेकर अध्ययन को सार्थक बनाया गया है।

अध्ययन क्षेत्र –

छत्तीसगढ़ के पश्चिम में स्थित राजनांदगांव जिले का निर्माण 26 जनवरी 1973 को हुआ। जिसकी कुल भौगोलिक सीमा 8023 वर्ग कि.मी. है जिसमें कुल नौ विकासखण्ड है। कुल जनसंख्या 1537133 लाख (जनगणना 2011) है। जिसमें पुरुष 762855 लाख तथा महिला 774278 लाख है जो पुरूषों से 11423 हजार ज्यादा है। जिले में प्रति 1000 पुरूष में 1015 महिलाएँ है। जिले में शिशु लिंगानुपात 986 है। यहां की कुल साक्षरता 75.96: है जिसमें महिला साक्षरता 66.70: है जो पुरूषों से कम है। तथा 0–6 वर्ष की कुल जनसंख्या 209575 है जिसमें बालिकाओं की संख्या 104067 लाख है। यहां ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या से 4 गुणा अधिक है। आज भी कई महिलाएँ अपनी शिक्षा, स्वतंत्रता, आजीविका के प्रति जागरूक नहीं है। इस प्रकार अध्ययन हेतु राजनांदगांव जिले का चयन किया गया है।

जिले में विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ –

(1)मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना :–

जिले में निर्धन कन्या परिवारों को कन्या के विवाह के संबंध में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार को 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को 13000रू. तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में देय होगी जो कन्या की आवश्यकता अनुसार निर्धारित की जाएगी। सामूहिक विवाह आयोजन के लिए प्रति कन्या 2000रू. तक व्यय किया जा सकेगा इस प्रकार प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 15000रू. की सहायता राशि देय होगी।

(2)आयुष्मति योजना :–

ग्रामीण क्षेत्र की भूमिहीन परिवार की गरीब महिलाओं एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाओं को इलाज की विशेष सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के तहत जिला अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगी महिला को एक सप्ताह तक उपचार हेतु भर्ती पर 400रू. तक तथा एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने पर 1000रू. तक की चिकित्सा सुविधा के तहत इलाज, दवा, टॉनिक व पोषण आहार आदि उपलब्ध कराया जाता है। यह दवायें अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध दवाओं के अतिरिक्त होती है।

(3)महिला जागृति शिविर :–

महिलाओं में जागृति लाने तथा उन्हें उनके अधिकारों एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर बाल विकास परियोजना द्वारा महिला जागृति शिविर का आयोजन किया जाता है। ये शिविर जिला, विकासखण्ड तथा ग्राम स्तर पर आयोजित किये जाते है।

(4)दत्तक पुत्री शिक्षा योजना :–

यह योजना पूर्णरूपेण जनसहयोग से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत समक्ष व्यक्ति/संस्था द्वारा प्राथमिक शाला में पढ़ने वाली गरीब बालिकाओं के लिए 300रू. वार्षिक तथा माध्यमिक शाला में पढ़ने वाली गरीब बालिकाओं के लिए 400रू. वार्षिक की सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। सहायता नकद राशि के अलावा कपड़े, पुस्तक आदि रूप में भी दी जाती है।

(5)छत्तीसगढ़ महिला कोष :–

महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधी कार्यो को बढ़ावा देने, महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक उपाये करने तथा महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन, सुदृढ़ीकरण एवं आर्थिक गतिविधियों के लिए वित्तीय एवं अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन छ.ग. सोसायटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत दिनॉक 02.02.2002 को किया गया है। इसके अंतर्गत सक्षम तथा स्वावलंबन योजनाएं संचालित है।

(6)मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजनाः–

गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों (बालक–बालिकाओं) को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएँ तथा आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना संचालित की जा रही है।

तालिका क्रमांक – 01 राजनांदगांव जिले में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक जानकारी

		वर्ष 2011–12		वर्ष 2012–13		वर्ष 2013–14		वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16	
क्र.	योजना का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	–	362	500	279	500	127	330	125	180	12

Volume : 6 | Issue : 9 | September 2016 | ISSN - 2249-555X | IF : 3.919 | IC Value : 74.50

2.	आयुष्मति योजना	–	1756	–	2235	–	1255	–	851	–	851
3.	महिला जागृति शिविर	–	171	–	85	–	85	–	132	–	132
4.	दत्तकपुत्री शिक्षा योजना	24630	21985	24816	–	24630	17956	24630	7980	24630	7980
5.	छ.ग. महिला कोष ऋण योजना	–	–	175	175	175	183	153	179	204	–
6.	मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना	3284	3284	–	7162	–	3612	–	4830	–	4830
7.	सबला योजना पोषण आहार कार्यक्रम	–	–	56420	50456	56420	50456	56420	50456	56420	50456
8.	सबला योजना प्रशिक्षण एवं अन्य	–	–	97391	97391	360	360	360	360	360	360

स्त्रोतः– जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग राजनांदगांव

उपर्युक्त तालिका में जिले में चलायी जा रही 21 योजनाओं में से 8 योजनाओं की लक्ष्य और उपलब्धि को दर्शाया गया है। विश्लेषण में पिछले पांच वित्तीय वर्षो का अध्ययन किया गया जिसमें देखा गया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कुल 905 गरीब कन्याओं का विवाह कराया गया। आयुष्मति योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त महिलाओं की कुल संख्या (उपलब्धि) 6918 हैं। वहीं महिला जागृति शिविरों की संख्या 605 है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए छ.ग. महिला कोष ऋण योजना के सभी वर्गो का कुल लक्ष्य 707 में से कुल उपलब्धि 537 महिला/स्व सहायता समूह है जो लक्ष्य का 75.95ः पाया गया। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना में पिछले चार वर्षो में 18888 बालक–बालिको को चिकित्सकीय लाभ प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा सबला योजना पोषण आहार के तहत पिछले चार वर्षो में 225680 किशोरियों में से 201824 किशोरी बालिकाओं को पोषण आहार कार्यक्रम के तहत लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार प्रशिक्षण के माध्यम से कुल 98471 किशोरी बालिकाओं को किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी दी गई।

तालिका क्रमांक – 02 विभाग द्वारा जिले में संचालित योजनाओं के वित्तीय आंकड़ें

क्र	योजना का नाम	वर्ष 2011–12			वर्ष 2012–13			वर्ष 2013–14			वर्ष 2014–15		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	51ण्00	42ण्28	82ण्90	63ण्05	41ण्57	65ण्93	26ण्25	21ण्30	81ण्14	49ण्50	22ण्65	46ण्21
2	आयुष्मति योजना	4ण्00	3ण्87	96ण्75	51ण्00	50ण्04	98ण्11	71ण्00	67ण्58	95ण्18	44ण्08	38ण्96	88ण्38
3	महिला जागृति शिविर	6ण्25	6ण्25	100	94	94	100	95ण्30	95ण्30	100	88ण्50	85ण्42	96ण्52
4	दत्तकपुत्री शिक्षा योजना	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	छ.ग. महिला कोष ऋण योजना	.	.	.	42ण्00	50ण्25	119ण्6	17ण्50	16ण्25	92ण्85	15ण्00	38ण्55	257
6	मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना	34ण्80	21ण्74	62ण्47	28ण्64	23ण्19	82ण्54	23ण्42	15ण्24	65	31ण्73	22ण्79	71ण्82
7	सबला योजना पोषण आहार कार्यक्रम	.	.	.	18ण्00	15ण्30	85	86ण्24	82ण्49	95ण्65	84ण्90	83ण्66	98ण्53
8	सबला योजना प्रशिक्षण एवं अन्य	.	.	.	28ण्64	23ण्19	80ण्97	31ण्87	31ण्95	99	21ण्60	21ण्60	100

स्त्रोत :– जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास राजनांदगांव

उपर्युक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि विभाग की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में पिछले चार वर्षो में कुल 127 लाख रूपये खर्च किये गये है। वर्षवार क्रमशः 82.90ः, 65.93ः, 81.14ः तथा 46.21ः है। आयुष्मति योजना में वित्तीय वर्षो में क्रमशः 96.75ः, 98.11ः, 95.18ः तथा 88.38ः राशि खर्च की गई। महिला जागृति शिविर में वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 में 100ः तथा वर्ष 2014–15 में 96.52ः लक्ष्य की प्राप्ति हुई। दत्तक पुत्री शिक्षा योजना पूर्णतः जनसहयोग द्वारा संचालित है। छ.ग. महिला कोष ऋण योजना के तहत वर्ष 2013–14 में 119.6ः, 2013–14 में 92.85ः तथा वर्ष 2014–15 में उपलब्धि लक्ष्य की ढ़ाई गुणा रही। इसी प्रकार मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना में वर्षवार 62.47ः, 82.54ः, 65ः तथा 71.82ः लक्ष्य की प्राप्ति हुई। सबला योजना में वर्षवार 85ः, 95ः तथा 98ः राशि खर्च हुई। सबला योजना के तहत वर्ष 2012–13 में 80.97ः, 2013–14 में 99ः तथा वर्ष 2014–15 में 100ः राशि का उपयोग प्रशिक्षण व अन्य कार्यो में किया गया।

इस प्रकार महिलाओं का सर्वांगीण विकास कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए शासन तथा विभाग द्वारा हर संभव प्रयास किया गया है जो इनके आंकड़ों से स्पष्ट होता है।

निष्कर्ष :–

उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि राज्य में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राजनांदगांव जिले में विभाग ने महती भूमिका अदा की है। विभाग ने अपनी विभिन्न योजनाओं से महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, आजीविका, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, पोषण आहार और राजनैतिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया है। जिससे महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। महिलाओं को संवैधानिक हितों जागरूक बनाया गया है। विभाग ने महिलाओं व बच्चों के सर्वांगीण विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वयक की भूमिका अदा की। जिससे जिले की महिलाओं का सर्वांगीण विकिस हुआ तथा जीवन पर सक. ारात्मक प्रभाव रहा।

संदर्भ ग्रंथ–

1- गुप्ता रमणिका (2008), स्त्री विमर्श कलम और कुदाल के बहाने, शिल्पायन प्रकाशन, दिल्ली
2- सिंह डॉ. रंजीता (2013), महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण महिलाएँ, प्रकाशन बाफना पब्लिक प्रा. लि. जयपुर
3- यादव प्रीति (2014), महिला विकास, मनीष प्रकाशन जिला बुलंदशहर (उ.प्र.)
4- यादव चंद्रभान (2013), महिलाओं का सबलता का सशक्त माध्यम स्वयं सहायता समूह, कुरूक्षेत्र पत्रिका जुलाई 2013.
5- कल्याण प्रतिभा (2012), समाज में महिलाओं का स्थान प्रतियोगिता दर्पण, जून–2012.
6- प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2012–13, महिला एवं बाल विकास विभाग, छ.ग. शासन.
7- अंगना के गोठ, पत्रिका, महिला एवं बाल विकास विभाग सितम्बर–2013, जून 2014.
8- जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2014.
9- छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011.